न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–380 / 2022
दावा 88 आर.टी.ए.

1. सिमरनजीतसिंह 2. विक्रमजीतसिंह पिसरान बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिनान संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादीगण–

बनाम

1.बलजिन्द्रकौर पत्नी बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 2.सुरेन्द्रपालकौर पुत्री बलदेवसिंह पत्नी करणीसिंह जाति जटसिख निवासी बजीतपुर भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का 3.तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

–प्रतिवादीगण–

। दावा बाबत इस्तकरार हक।

दिनांक :– 17.8.2022

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अनतगर्त धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहंत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है। वादीगण ने अपनी वंशावली दावा में दर्ज की है प्रति0 संख्या एक वादीगण की सगी माता व प्रतिवादीया संख्या 2 वादीगण की सगी बहिन है, वादीगण की माता बलजिन्द्रकौर पत्नी बलदेवसिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 88 / 09 में कुल क्षैत्रफल 2.530 है0नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जमाबन्दी में है नकल दावा के साथ प्रस्तुत की है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति है, तथा प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम उक्त प्रश्नगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की विरास्तन जद्दी जायदाद है तथा विरास्तन भूमि में वादीगण का जन्म जात हक व हिस्सा बनता है। जिसे वादीगण घोषित कराने के मुस्तहक एवं दावेदार है। दावा के पहरा सं. 3 में वर्णित समस्त सम्पति वादीगण व प्रति0 संख्या 1 से 2 की जद्दी जायदाद है जिसमें प्रतिवादीया संख्या 2 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती उन्होने अपना हिस्सा हम वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है, जिसे वादीगण घोषित करा अपने नाम कराने के मुस्तहक एवं दावेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक का घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन में वादीगण को उक्त वर्णित चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 88 / 09 की कुल 2.530 है0 भूमि में से वादी संख्या 1–सिमरजीतसिंह को 0.664 है0 वादी संख्या 2–विक्रमजीतसिंह को 1.107 है0 तथा प्रतिवादीया संख्या 1–बलजिन्द्रकौर को 0. 759 है0 भूमि प्राप्त हो चुकी है, जिसका कब्जा भी वादीगण [illegible] के अपने अपने हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार हो चुके है, इसी अमर की [illegible] पाने के वादीगण अधिकारी एंव दावेदार है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:03 IST
Reason: SelfAttested

17/8
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सं. 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने से वादीगण बैंकलिमिट व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ है, इससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वे वादीगण को दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित कुल भूमि का जन्मजात व मुताबिक घरू विभाजन अनुसार वादीगण को दी गई भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उपरौक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख मुकर्र की गई। मुकर्र तारीख पेशी पर प्रति0 संख्या 1 से 2 की और से अधिवक्ता नवरत्न स्वामी ने वकालतनामा मय इकबालदावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 3 राज पैरोकार ने जबाबदावा पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। वादी संख्या 2 व प्रति0 संख्या 1 व 6 के मध्य राजीनामा तहरीर व तकमील होकर प्रस्तुत हुआ जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया तथा साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1–सिमरनजीतसिंह ने अपना शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत पेश किया जसे शामिल पत्रावली किया गया, प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी व नामान्तरण प्रदर्शित करवाई गई। उक्त शपथ पत्र में वादी संख्या 1 ने उक्त राजीनामा को स्वीकार किया। दावा में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नही की गई। बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की सुनी गई जिसमें वकुलाये फरीकेन ने मुताबिक राजीनामा दावा को निर्णित किये जाने की इस्तदुआ की बहस वकुलाये सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमे भूमि वादीगण की माता के नाम दर्ज है तथा दावा में राजीनामा पेश होने से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं रहा अतः वादीगण मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

बाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर डिक्री किया जाता है, कि वादीगण अपनी माता बलजिन्द्रकौर के नाम की चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 88/09 में 2.530 है0 भूमि में से वादी संख्या 1–सिमरनजीतसिंह कुल 0.664 है0 तथा वादी संख्या 2–विक्रमजीतसिंह कुल 1.107 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार है उक्त खाता से प्रतिवादीया सं. एक बलजिन्द्रकौर पत्नी बलदेवसिंहं का हिस्सा कम कर वादीगण के नाम उक्त हिस्सानुसार भूमि अंकित किये जाने के आदेश करावे।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

यह निर्णय आज दिनांक 17/08/2022 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ता.)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:03 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय–सहायक कलैक्टर, संगरिया,

पीठासीन अधिकारी– रमेश देव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 380/2022, वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.। इस्तकरार हक।

---

1. सिमरनजीतसिंह 2. विक्रमजीतसिंह पिसरान बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिनान संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादीगण–

बनाम

1.बलजिन्द्रकौर पत्नी बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 2.सुरेन्द्रपालकौर पुत्री बलदेवसिंह पत्नी करणीसिंह जाति जटसिख निवासी बजीतपुर भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का 3.तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

–प्रतिवादीगण–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट वकील वादीगण मिन जानिब प्रतिवादीगण 1 से 2 की और से श्री नवरत्न स्वामी वकील पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–वादीगण अपनी माता बलजिन्द्रकौर के नाम की चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 88/09 में 2.530 है0 भूमि में से वादी संख्या 1–सिमरनजीतसिंह कुल 0.664 है0 तथा वादी संख्या 2–विक्रमजीतसिंह कुल 1.107 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार है उक्त खाता से प्रतिवादीया सं. एक बलजिन्द्रकौर पत्नी बलदेवसिंह का हिस्सा कम कर वादीगण के नाम उक्त हिस्सानुसार भूमि अंकित किये जाने के आदेश करावे।

निज.....X.....निल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत.....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....X.....को अदा करे।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17/08/22 को जारी किया गया

17/8/22

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:03 IST
Reason: SelfAttested